an>

Title: Need to establish bench of High Court of Bihar at Bhagalpur.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संयुक्त बिहार में उच्च न्यायालय की दो खंडपीठ क्रमश: पटना और रांची में थी। वर्तमान में बिहार की आबादी करीब साढ़े दस करोड़ है और वहां एक ही उच्च न्यायालय है। प्राचीन अंग क्षेत्र बंगाल और झारखंड से सटे रहने के कारण बिहार की व्यावसायिक राजधानी के रूप में रेशमी शहर भागलपुर सुप्रसिद्ध है। मैं भागलपुर का ही मूल निवासी हूं और वहां से पांच बार विधायक और 7-8 साल मंत्री भी रहा हूं। भागलपुर से सटे 12 जिले - बांका, मुंगेर, जमुई, लक्खीसराय, खगड़िया, बेगुसराय, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा लगभग आधे घंटे से डेढ़-दो घंटे की दूरी पर स्थित हैं। साथ ही मिथलांचल के 4 जिले - समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी की दूरी भी ढाई से तीन घंटे की है। इन क्षेत्रों के लगभग पचास हजार से भी ज्यादा मुक्दमे पटना उच्च न्यायालय में विगत कई वर्षों से लंबित हैं और लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विलंब से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के समान होता है। उक्त जिलों से लोगों को पटना जाने में चार से छ: घंटे लग जाते हैं जिससे उन्हें पटना में ही रात बितानी पड़ती है। इससे गरीब लोगों को काफी आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है। अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि भागलपुर में उच्च न्यायालय की दूसरी खंड पीठ की स्थापना की मंजूरी देने की कृपा की जाए। इसके लिए वहां लगातार आंदोलन होते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में अगली तिथि में विधि मंत्री कुछ बताएं।

HON. DEPUTY SPEAKER:

Shri Shailesh Kumar,

Shri Rajesh Ranjan and

Shrimati Ranjeet Ranjan are permitted to associate with the issue raised by Shri Ashwini Kumar Choubey.